न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 157/2024

अभयसिंह दतक पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत साकिन कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– वादी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– प्रतिवादी –

वाद अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 24.03.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर के खसरा सं. 2225/324 तादादी 2.0496 हैक्ट., खसरा सं. 329 तादादी 2.8578 हैक्ट., खसरा नं. 330 तादादी 3.6923 हैक्ट. कुल तादादी 8.5997 हैक्ट. हैं। विवादित कृषि भूमि में फूलसिंह व माधोसिंह के नाम दर्ज थी जो रिश्ते में दोनों सगे भाई थे जो वादी की संयुक्त खातेदारी कृषिभूमि है जिसमें वादी 28664/85997, 28664/85997 हिस्सा का खातेदार तथा काबिज काश्तकार है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अभयसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह व अभयसिंह पुत्र फुलसिंह पुत्र माधोसिंह अंकित है। उक्त कृषिभूमि अभयसिंह को अपने दतक पिता माधोसिंह से प्राप्त हुई हैं व अभयसिंह पुत्र फूलसिंह पुत्र माधोसिंह दर्ज भूमि उच्छब कंवर पुत्री किशन कंवर बेवा फूलसिंह से जरिये दस्तबरदारी से प्राप्त होने के कारण वादी का नाम अभयसिंह पुत्र फुलसिंह पुत्र माधोसिंह दर्ज हो गया है। वादी के आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशनकार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम अभयसिंह पुत्र माधोसिंह है, जो कि वादी का सही नाम है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा कोहिणा तहसील तारानगर के खसरा सं. 2225/324 तादादी 2.0496 हैक्ट., खसरा सं. 329 तादादी 2.8578 हैक्ट., खसरा नं. 330 तादादी 3.6923 हैक्ट. कुल तादादी 8.5997 हैक्ट. में वादी का नाम अभयसिंह दतक पुत्र माधोसिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई जो प्राप्त हुई। इसे शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। अतः तनकी कायम नहीं की गई।

साक्ष्य वादी के रूप में सह खातेदार भंवर कंवर पत्नी रतनसिंह व भरतसिंह पुत्र रतनसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। इसे शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुये इसे स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा साक्ष्य वादी के शपथ पत्र का अवलोकन किया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित हैं कि माधोसिंह व फूलसिंह सगे भाई थे। माधोसिंह के सन्तान नहीं थी। उसने वादी को गोद लिया। फूलसिंह की भूमि भी वादी के नाम दर्ज हो गई। अभयसिंह दतक पुत्र माधोसिंह व अभयसिंह पुत्र फूलसिंह एक ही व्यक्ति है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशनकार्ड, जन आधारकार्ड में भी वादी की वल्दियत अभयसिंह दतक पुत्र माधोसिंह है। जमाबंदी में वादी की प्रविष्ठि दो बार अभयसिंह दतक पुत्र माधोसिंह व अभयसिंह पुत्र फूलसिंह पुत्र माधोसिंह की गई है। चूंकि वादी माधोसिंह का गोद पुत्र होना प्रकट हुआ है तथा उसे फूलसिंह की भूमि भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्नता के कारण वादी को परेशानी होना सम्भव है। वाद में अन्य किसी का हक भी प्रभावित नहीं होता न ही वाद का खण्डन पेश हुआ है।

इस प्रकार वाद–वादी स्वीकार योग्य पाया गया है। अतः स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्ठि **अभयसिंह पुत्र फूलसिंह पुत्र माधोसिंह** Delete कर इसके स्थान पर अभयसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह तथा अभयसिंह दत्तक पुत्र माधोसिंह का हिस्सा बढ़ाकर 57328/85997 अंकित दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन का आदेश दिया जाता है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)